क्रम-संख्या–162(ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025

आश्विन 8, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 1466(2)/छः-पु0-9–2025–1962926
लखनऊ, 30 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0–268

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन् 1861) की धारा 34 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–5 में उल्लिखित मेला की अवधि के लिए, स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिला में, स्तम्भ–3 में उल्लिखित मेला द्वारा अध्यासित किये जाने वाले, स्तम्भ–4 में उल्लिखित ग्रामीण क्षेत्र पर उक्त धारा में उल्लिखित समस्त अपराधों के सम्बन्ध में उक्त धारा के समस्त उपबन्धों का विस्तार करते हैंः–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला का नाम	मेला का नाम	मेला का स्थान	अवधि (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए)
1	2	3	4	5
1	बदायूं	मेला ककोड़ा	ग्राम–कादरगंज खाम, परगना–निधिपुर, तहसील–पटियाली, जिला–कासगंज	दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 12 नवम्बर, 2025 तक

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1466(2)/VI-P-9–2025-1962926, dated September 30, 2025.

No. 1466(2)/VI-P-9–2025-1962926

Dated Lucknow, September 30, 2025

IN exercise of the powers under Section-34 of the Police Act, 1861 (Act No.V of 1861), the Governor is pleased to extend all the provisions of the said Section in respect of all the offences mentioned in the said Section to the rural area mentioned in column-4, to be occupied by the Mela mentioned in column-3, in the District noted in column-2 and for the period of Mela noted against in column-5 of the Schedule below:-

SCHEDULE

Sl.no.	Name of District	Name of Mela	Place of Mela	Period (Both days inclusive)
1	2	3	4	5
1	Budaun	Mela Kakoda	Village-Qadarganj Kham, Pargana- Nidhipur, Tehsil-Patiyali, Distt. Kasganj	From October 29, 2025 to November 12, 2025

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 268 राजपत्र–2025–(787)–599+5+5=609 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।